

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3580

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तमिलनाडु में राष्ट्रीय आयुष मिशन

3580. श्री मलैयारासन डी.:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) का ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु में अब तक कितने आयुष अस्पताल, औषधालय और आरोग्य केंद्र स्थापित किए गए हैं;
- (ख) राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत तमिलनाडु को कितनी वित्तीय सहायता आबंटित की गई है और राज्य में विशेषकर कल्लाकुरिचील जिले में चिकित्सा की पारंपरिक पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई विशिष्ट परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा तमिलनाडु में आयुष पद्धतियों को स्वास्थ्य देखभाल की मुख्य धारा में एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और राज्य में स्वास्थ्य परिचर्या की सुलभता और वहनीयता पर इसका संकायवार क्या प्रभाव पड़ा है;
- (घ) क्या सरकार की राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुष पेशेवरों के लिए अवसंरचना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रयासों में सुधार करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) आयुष पद्धतियों में अनुसंधान और नवीनता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत अनुसंधान पहलों से राज्य किस प्रकार लाभान्वित हो रहा है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष मंत्रालय तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से देश भर में आयुष पद्धतियों के समग्र विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है। एनएएम के अंतर्गत, आयुष मंत्रालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्रस्तुत किए गए उनके प्रयासों का समर्थन एनएएम के दिशा-निर्देशों के प्रावधान के अनुसार, विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके करता है। यह मिशन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए प्रावधान करता है:-

- i. मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का संचालन जिसे अब आयुषमान आरोग्य मंदिर (आयुष) नाम दिया गया है।
- ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।

- iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
- iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/उन क्षेत्रों में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण, जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
- v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
- vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी औषधियों की आपूर्ति।
- vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- viii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
- ix. आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 295 आयुष अस्पताल और 1238 औषधालय कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय ने तमिलनाडु राज्य सरकार से एनएएम के अंतर्गत एसएएपी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मौजूदा आयुष औषधालयों का उन्नयन करके तमिलनाडु राज्य में 650 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों के लिए अनुमोदित किया, जिनका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) कर दिया गया है। एनएएम के तहत, वर्ष 2014-15 से अब तक विभिन्न गतिविधियों के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को एसएएपी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 248.97 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार कल्लाकुरिची जिले में 13 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) अनुमोदित किए गए हैं।

(ग): भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधा केन्द्रों को सह-स्थापित करने की कार्यनीति अपनाई है ताकि रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का विकल्प मिल सके। आयुष डॉक्टरों/पैरामेडिक्स की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समर्थित किया जाता है, जबकि आयुष अवसंरचना, उपकरण/फर्नीचर और दवाओं के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा एनएएम के तहत साझा जिम्मेदारियों के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएम-एमआईएस आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु में दिनांक 30 सितंबर, 2024 तक 475 पीएचसी, 388 सीएचसी और 37 डीएच में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना की गई है।

(घ) और (ड): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, आयुष पेशेवरों के लिए अवसंरचना में सुधार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। तथापि, एनएएम के अंतर्गत आयुष पेशेवरों के लिए आयुष सुविधाओं की अवसंरचना में सुधार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। राज्य सरकार, एनएएम दिशा-निर्देशों के प्रावधान के अनुसार, एसएएपी के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके पात्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।
